

आदेश न इजलारा डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 539/2024 (धारा 14 (सिक्योरिटी इंटरिस्ट))

यस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय चतुर्थ तल, आनन्द भवन, प्लॉट नम्बर 307, संसार चंद रोड, चौकड़ी
हवेली, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- नूतन
पता :- प्लेट नम्बर एल-104, स्वप्न निलय अपार्टमेंट, ग्राम मथुरावाला बीलवा, बीलवा कलां, तहसील
सांगानेर, जिला जयपुर।
एवं चतुर्थ बीलवा शॉप स्थित मानपुर नामोलिया, ग्राम मानपुर नामोलिया, सांगानेर, जिला जयपुर।
एवं प्लेट नम्बर एल-104, प्रथम तल, स्वप्न निलय, स्थित खरारा नम्बर 314/462, 314/463, 323/2
एवं 324 ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
- पवन कुमार शर्मा
पता :- प्लेट नम्बर एल-412, चतुर्थ तल, स्वप्न निलय अपार्टमेंट, टॉक रोड नियर शरल बिहारी जी
मन्दिर मथुरावाला बीलवा, बीलवा कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.09.2025

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.02.2024 को पुनर्गुप्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती नूतन पत्नि श्री संतोष कुमार के स्वागित्त्व की सम्पत्ति स्वप्न निलय खरारा नम्बर 314/462, 314/463, 323/2 एवं 324 ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के प्रथम तल पर स्थित प्लेट नम्बर एल-104 क्षेत्रफल 574 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि 14,98,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.04.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि गय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इगदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **14,98,000/-** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से निम्नानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **15,36,604.21/-** रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **19.04.2025** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती नूतन पत्नि श्री संतोष कुमार** के स्वामित्व की सम्पत्ति **स्वप्न निलय** खसरा नम्बर **314/462, 314/463, 323/2 एवं 324** ग्राम **मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के प्रथम तल पर स्थित फ्लैट नम्बर एल-104 क्षेत्रफल 574 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक **04.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कजक्टर) जयपुर
366-07
24/9/25